न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 250/2018 दायर दिनाँक 11.07.2018

वादीनी		प्रतिवादी
1. दाखा देवी पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुद्रासन तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश पुत्र स्व0 हीराराम 2. शंकर पुत्र स्व0 हीराराम 3. लीलकी पत्नी स्व0 पप्पूराम 4. करण पुत्र स्व0 पप्पूराम 5. रवि पुत्र स्व0 पप्पूराम (प्रतिवादी सं0 04 व 05 नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता प्रति0 सं0 03 लीलकी) समस्त जाति नट निवासी सुद्रासन तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 6. गंगादेवी पत्नी पेमाराम जाति रेगर निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. नन्दलाल पुत्र रामदेव 8. राजु पुत्र रामदेव 9. चुंकी पत्नी रामदेव 10. सुवटी पुत्री रामदेव 11. मनोहरी पुत्री रामदेव 12. कमला पुत्री रामदेव 13. लिछमा पुत्री रामदेव समस्त जाति रेगर निवासीगण सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 14. सोहन पुत्र चन्दरीयां 15. गुलजार पुत्र चन्दरीया समस्त जाति नट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 16. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— **53, 188, R.T.Act.**

उपस्थितः—

1. श्री अशोक कुमार भाकर अधिवक्ता, वादीनी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 250 / 2018
दायर दिनाँक 11.07.2018, निर्णय दिनाँक 03.08.2018
दाखादेवी बनाम जगदीश वगैराह।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 03.08.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खेत खसरा संख्या 315 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा वाके सरहद ग्राम सुद्रासन में अवस्थित है। उक्त खसरा में से सोहनराम व उसके वारिसान से उनकी पेत्रिक जायगा में से 01 बीघा 03 बिस्वा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीद की व मौके पर उनके कब्जे व खातेदारी व स्वामित्व सुदा जायगा पर वादीया को कब्जा संभला दिया। जिसका नक्शा वाद के साथ पेश है व उक्त नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

खसरा संख्या 315 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा पर मौके पर सभी खातेदारों द्वारा बंट कर रखा है व उसी अनुसार कब्जा काश्त व भोग उपभोग वर्षो से करते आ रहे है व उसी अनुरूप जायगा के खरीद के साथ ही मेरा भी कब्जा काश्त व भोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त जायगा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं होने के कारण वादीया को उक्त वाद बंटवारा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीया है कि वाके सरहद सुद्रासन के खेत खसरा संख्या 315 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा में से वादीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार 01 बीघा 03 बिस्वा जमीन मार्क ए बी सी डी ई एफ को राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर अलग से वादिया के नाम खातेदारी घोषित की जावें व उसी अनुरूप बंटवारा किया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावें कि खेत खसरा संख्या 315 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं0 01 ता 15 किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी, बेचाण, हस्तान्तरण आदि न तो स्वयं करें और न ही अपने एजेन्ट, प्रतिनिधि से करावें।

वादींगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 16 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 16 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादीनी दाखा देवी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ तथा साक्ष्य वादी में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनदयाल के शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए।

दस्तावेजी साक्ष वादीनी नें प्रदर्श–01 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076, प्रदर्श–02 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–3 नजरी नक्शा है।

बहस विद्वान वकील वादीनी सुनी गयी। विद्वान वकील वादीनी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्वन्धी विधि का अध्ययन् किया। उक्त जायगा वादीनी की खरीद सुदा जायगा है तथा मौके पर अपने हिस्से पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज है।

अतः वादीनी का वाद डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा, डिक्री सादिर कर वाके सरहद सुद्रासन के खेत खसरा संख्या 315 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा में से वादीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार 01 बीघा 03 बिस्वा जमीन मार्क ए बी सी डी ई एफ का वादिया को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा प्रदर्श–3 निर्णय एवं डिक्री का अहम भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **03.08.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **250/2018** दायर दिनॉक **11.07.2018**

वादीनी		प्रतिवादी
1. दाखा देवी पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुद्रासन तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश पुत्र स्व0 हीराराम 2. शंकर पुत्र स्व0 हीराराम 3. लीलकी पत्नी स्व0 पप्पूराम 4. करण पुत्र स्व0 पप्पूराम 5. रवि पुत्र स्व0 पप्पूराम (प्रतिवादी सं0 04 व 05 नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता प्रति0 सं0 03 लीलकी) समस्त जाति नट निवासी सुद्रासन तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 6. गंगादेवी पत्नी पेमाराम जाति रेगर निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. नन्दलाल पुत्र रामदेव 8. राजु पुत्र रामदेव 9. चुंकी पत्नी रामदेव 10. सुवटी पुत्री रामदेव 11. मनोहरी पुत्री रामदेव 12. कमला पुत्री रामदेव 13. लिछमा पुत्री रामदेव समस्त जाति रेगर निवासीगण सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 14. सोहन पुत्र चन्दरीयां 15. गुलजार पुत्र चन्दरीया समस्त जाति नट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 16. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

दिनॉक **03.08.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक कुमार भाकर, अधिवक्ता वादीनी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा, डिक्री सादिर कर वाके सरहद सुद्रासन के खेत खसरा संख्या 315 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा में से वादीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार 01 बीघा 03 बिस्वा जमीन मार्क ए बी सी डी ई एफ का वादिया को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा प्रदर्श—3 निर्णय एवं डिक्री का अहम भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.08.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–250–2018 / रीडर / 2018 / 966 दिनाँक 14/8/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

वादीनी		प्रतिवादी
दाखा देवी पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश पुत्र स्व0 हीराराम वगैराह समस्त जाति नट निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner